



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ८, अंक ५]

बुधवार, मार्च २३, २०२२/चैत्र २, शके १९४४

[पृष्ठे ८२, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ५

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियमों (सातवाँ संस्करण) के नियम ११६(१) के प्रथम परंतुक के अधीन प्रकाशित किया जाता है :—

L. A. BILL No. XII OF 2022.

A BILL

TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES AND PURPOSES OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH, 2023.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १२ सन् २०२२।

विधेयक जिसके द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च २०२३ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए कतिपय अधिकतर रकमों की अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२२ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए, कतिपय रकमों के विनियोग के लिये यह आवश्यक है कि विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ, उपबंध किया जाये ; इसलिए, भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में, एतद्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र विनियोग अधिनियम, २०२२ कहलाए।

संक्षिप्त नाम।

राज्य की संचित
निधि में से वित्तीय
वर्ष २०२२-२०२३
के लिये,
५६ खरब,
८० अरब,
७० करोड़,
६२ लाख,
५० हजार
रुपये निकालना।

२. राज्य की संचित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर छप्पन खरब, अस्सी अरब, सत्तर करोड़, बासठ लाख, पचास हजार रुपये की रकम के बराबर होगी, अनुसूची के स्तंभ (२) में बताये हुए कार्यों तथा उद्देश्यों के सम्बन्ध में, सन् २०२३ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में, होनेवाले व्ययों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जायेंगी।

विनियोग।

३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिये प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०२३ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए, कार्यों तथा उद्देश्यों के लिये विनियोग किया जायेगा।

अनुसूची
(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)		रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी		
				विनियोजन		
				विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित (४)	कुल
				रुपये	रुपये	रुपये
क—राजस्व लेखे पर व्यय						
सामान्य प्रशासन विभाग						
ए-१	राज्यपाल और मंत्री परिषद।	२०१२, राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/ संघराज्य क्षेत्रों के प्रशासक। २०१३, मंत्री परिषद।	..	३७,००,१३,०००	३४,२२,००,०००	७१,२२,१३,०००
ए-२	निर्वाचन।	२०१५, निर्वाचन।	..	३,७४,०३,३९,०००		३,७४,०३,३९,०००
ए-३	लोक सेवा आयोग।	२०५१, लोक सेवा आयोग।	..	२,०००	५९,४४,७४,०००	५९,४४,७६,०००
ए-४	सचिवालय और विविध सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय सामान्य सेवाएँ। २०५९, लोकनिर्माण कार्य। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	..	१२,८५,२२,९०,०००	१,०५,०००	१२,८५,२३,९५,०००
ए-५	सामाजिक सेवाएँ।	२२१६, आवास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ। २२५१, सचिवालय---सामाजिक सेवाएँ।	..	२,१३,२५,८०,०००		२,१३,२५,८०,०००
ए-६	सूचना तथा प्रचार।	२२२०, सूचना तथा प्रचार।	..	३,४३,२८,५४,०००	१,५०,०००	३,४३,३०,०४,०००
ए-७	सिविल विमानन।	३०५३, सिविल विमानन।	..	५,९०,५४,७७,०००		५,९०,५४,७७,०००
ए-८	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी।	३४५४, जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी।	..	५,०००		५,०००
कुल—सामान्य प्रशासन विभाग।				२८,४३,३५,६०,०००	९३,६९,२९,०००	२९,३७,०४,८९,०००

अनुसूची—जारी

४

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
			रुपये	रुपये	रुपये
गृह विभाग					
बी-१	पुलिस प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन। २०५५, पुलिस। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	२,४५,८३,०६,९१,०००	४,००,५०,०००	२,४५,८७,०७,४१,०००
बी-२	राज्य उत्पादन शुल्क।	२०३९, राज्य उत्पादन शुल्क।	२,१३,२७,३१,०००	१,५१,०००	२,१३,२८,८२,०००
बी-३	परिवहन प्रशासन।	२०४१, वाहनों पर कर। ३०५५, सड़क परिवहन। ३०५६, आंतर्राज्यीय जल परिवर्तन।	३३,०५,०३,०१,०००	५०,००,००,०००	३३,५५,०३,०१,०००
बी-४	सचिवालय और अन्य सामान्य सेवाएँ।	२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। २०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	८०,५२,५०,०००		८०,५२,५०,०००
बी-५	जेल।	२०५६, जेल।	५,२५,१४,११,०००		५,२५,१४,११,०००
बी-६	सामान्य सेवाएँ।	२२१७, नगरविकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	७,६२,४१,०००		७,६२,४१,०००
बी-७	आर्थिक सेवाएँ।	३००१, भारतीय रेल-नीति-निर्धारण, निदेशन, अनुसंधान तथा अन्य विविध संगठन। ३०५१, पत्तन तथा दीप गृह।	१५,९४,६१,००,०००		१५,९४,६१,००,०००
बी-८	बाढ़ नियंत्रण तथा निकास।	२७११ बाढ़ नियंत्रण तथा निकास।	२,५०,००,०००		२,५०,००,०००
बी-९	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	७,०००		७,०००
कुल—गृह विभाग।			३,०३,११,७७,३२,०००	५४,०२,०१,०००	३,०३,६५,७९,३२,०००

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २३, २०२२/चैत्र २, शके १९४४

		राजस्व तथा वन विभाग		
सी-१	राजस्व तथा जिला प्रशासन ।	२०२९, भू-राजस्व । २०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क । २०५३, जिला प्रशासन । २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ ।	.. ३१,४८,४९,५०,०००	४०,००० ३१,४८,४९,९०,०००
सी-२	स्टाम्प तथा पंजीयन ।	२०३०, स्टाम्प तथा पंजीयन ।	.. ३,२६,११,६५,०००	३,००० ३,२६,११,६८,०००
सी-३	ब्याज अदायगियाँ ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ ।		२,००० २,०००
सी-४	सचिवालय तथा अन्य सामान्य सेवाएँ ।	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ । २०५९, लोक निर्माण कार्य । २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ ।	.. ६९,१२,६४,०००	१०,०४,००० ५९,२२,६८,०००
सी-५	अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	२२१७, नगरविकास । २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	.. ५३,४१,०७,०००	११,००० ५३,४१,१८,०००
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत ।	२२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत ।	.. १,१३,०८,४६,४९,०००	४,००० १,१३,०८,४६,५३,०००
सी-७	वन ।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा । २५५१, पहाड़ी क्षेत्र ।	.. ३७,४३,१३,९५,०००	१,००० ३७,४३,१३,९६,०००
सी-८	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।		१०,००,००,००० १०,००,००,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग ।	.. १,८६,४८,७५,३०,०००	१०,१०,६५,००० १,८६,५८,८५,९५,०००
		कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग		
डी-१	ब्याज अदायगी ।	२०४९, ब्याज अदायगी ।		२५,४४,०७,००० २५,४४,०७,०००
डी-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	.. ९७,६०,०००	. . . ९७,६०,०००
डी-३	कृषि सेवाएँ ।	२४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण । २४०६, वन तथा वन्य जीवन ।, २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा ।	.. १,०२,१७,५१,०६,०००	८,००,००० १,०२,१७,५९,०६,०००
डी-४	पशुपालन ।	२४०३, पशुपालन ।	.. १४,९४,१५,४६,०००	३,५०,००० १४,९४,१८,९६,०००
डी-५	दुग्ध उद्योग विकास ।	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।	.. ४,५१,९५,३२,०००	५०,००,००० ४,५२,४५,३२,०००
डी-६	मत्स्य उद्योग ।	२४०५, मत्स्य उद्योग ।	.. २,४८,४९,९४,०००	१,५०,००० २,४८,५१,४४,०००

अनुसूची—जारी

६

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
डी-७	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२७०२, लघु सिंचाई। ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	५७,१४,६४,०००	...	५७,१४,६४,०००
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	१,२४,७०,२४,०२,०००	२६,०७,०७,०००	१,२४,९६,३१,०९,०००
		विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग			
इ-१	ब्याज अदायगियाँ	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।		१९,७२,२९,८८,०००	१९,७२,२९,८८,०००
इ-२	सामान्य शिक्षा।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	६,४०,४२,८७,५२,०००	१,९०,१५,०००	६,४०,४४,७७,६७,०००
इ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	५,४९,८९,५८,०००	२,०००	५,४९,८९,६०,०००
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।	६,४५,९२,७७,१०,०००	१९,७४,२०,०५,०००	६,६५,६६,९७,१५,०००
		नगरविकास विभाग			
एफ-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।		१,०००	१,०००
एफ-२	नगरविकास तथा अन्य अग्रिम सेवाएँ।	२०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२१७, नगरविकास। ३०५४, सड़क तथा पुल।	१,५६,९२,६६,३०,०००	२,५०,०००	१,५६,९२,६८,८०,०००
एफ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	२,४५,६३,४४,०००		२,४५,६३,४४,०००
एफ-४	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	२,५६,८८,५४,४३,०००		२,५६,८८,५४,४३,०००
		कुल—नगरविकास विभाग।	४,१६,२६,८४,१७,०००	२,५१,०००	४,१६,२६,८६,६८,०००

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २३, २०२२/चैत्र २, शके १९४४

वित्त विभाग						
जी-१	विक्रय कर प्रशासन।	२०२०, आय तथा व्यय पर कर संग्रहण। २०४०, विक्रय, व्यापार आदि, पर कर। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	..	९,४२,६४,७५,०००	१,००,०००	९,४२,६५,७५,०००
जी-२	अन्य वित्तीय तथा विविध सेवाएँ।	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	..	१८,०१,१५,५४,०००		१८,०१,१५,५४,०००
जी-३	ब्याज अदायगी तथा ऋण सेवाएँ	२०४८, ऋण कमी करने या परिहार के लिए विनियोग। २०४९, ब्याज अदायगी।	..		४,२५,२६,५२,२५,०००	४,२५,२६,५२,२५,०००
जी-४	सचिवालय — सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ।	..	५०,६२,२६,०००		५०,६२,२६,०००
जी-५	कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	२०५४, कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	..	४,५९,९६,८०,०००	२,००,०००	४,५९,९८,८०,०००
जी-६	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ती के लाभ।	२०७१, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ती लाभ।	..	४,५४,४८,३४,२१,०००	६७,२४,०९,०००	४,५५,१५,५८,३०,०००
जी-७	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	१,४४,५०,४२,०००		१,४४,५०,४२,०००
			कुल—वित्त विभाग।	४,८८,४७,२३,९८,०००	४,२५,९३,७९,३४,०००	९,१४,४१,०३,३२,०००
लोकनिर्माण कार्य विभाग						
एच-२	अन्य प्रशासनिक तथा सामाजिक सेवाएँ।	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	१,१५,००,०००		१,१५,००,०००
एच-३	आवास।	२२१६, आवास।	..	३,८०,०६,९१,०००		३,८०,०६,९१,०००
एच-४	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५३, सिविल विमानन। ३४५१, सचिवालय -आर्थिक सेवाएँ।	..	८२,१०,४०,०००		८२,१०,४०,०००
एच-५	सड़क तथा पुल।	३०५४, सड़क तथा पुल।	..	६७,७२,११,३०,०००	१५,००,०००	६७,७२,२६,३०,०००
एच-६	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा कौशल विकास लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगरविकास। २२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल विकास। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग।	..	३३,५३,५८,२२,०००	५,५६,०१,०००	३३,५९,१४,२३,०००
			कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।	१,०५,८९,०१,८३,०००	५,७१,०१,०००	१,०५,९४,७२,८४,०००

अनुसूची—जारी

८

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
जलस्रोत विभाग					
आय-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	१२,१४,८४,६५,०००	१२,१४,८४,६५,०००	
आय-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२,००,००,०००	२,००,००,०००	
आय-३	सिंचाई, विद्युत तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई। २७०२, लघु सिंचाई। २७०५, कमान क्षेत्र विकास। २७११, बाढ़ नियंत्रण और निकास। २८०१, विद्युत। ३४०२, अन्तरिक्ष अनुसंधान	२३,४६,४१,१७,०००	२३,४६,४१,१७,०००	
आय-४	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	७९,५६,५८,०००	७९,५६,५८,०००	
कुल—जलस्रोत विभाग।			२४,२७,९७,७५,०००	१२,१४,८४,६५,०००	३६,४२,८२,४०,०००
विधि तथा न्याय विभाग					
जे-१	न्याय प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन।	२७,८६,३७,२८,०००	४,९६,२१,२७,०००	३२,८२,५८,५५,०००
जे-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	२,०१,४१,७६,०००	७,००,०००	२,०१,४८,७६,०००
जे-३	स्थानिक निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समुद्देशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समुद्देशन।	७,३२,६०,०००	७,३२,६०,०००	
कुल—विधि तथा न्याय विभाग।			२९,९५,११,६४,०००	४,९६,२८,२७,०००	३४,९१,३९,९१,०००

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २३, २०२२/चैत्र २, शके १९४४

उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग

के-१	पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क।	२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क।	६१,५७,२३,०००	६१,५७,२३,०००
के-३	लेखनसामग्री तथा मुद्रण।	२०५७, पूर्ति और निपटान। २०५८, लेखनसामग्री तथा मुद्रण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	२,१७,३३,८१,०००	१,००,००० २,१७,३४,८१,०००
के-४	श्रम नियोजन तथा कौशल विकास।	२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल विकास।	३,३८,८१,९९,०००	३,३८,८१,९९,०००
के-५	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	२१,००,०००	२१,००,०००
के-६	ऊर्जा।	२८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।	७८,७८,९९,९७,०००	७८,७८,९९,९७,०००
के-७	उद्योग।	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। २८५२, उद्योग। २८५३, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग।	३९,०४,९०,९७,०००	१,००० ३९,०४,९०,९८,०००
के-८	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	३०,१८,११,०००	३०,१८,११,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	१,२४,३२,०३,०८,०००	१,०१,००० १,२४,३२,०४,०९,०००

ग्रामविकास विभाग

एल-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	१८,०३,८८,८८,०००	१८,०३,८८,८८,०००
एल-२	जिला प्रशासन।	२०५३, जिला प्रशासन।	६९,२७,३३,६८,०००	१,००,००० ६९,२७,३४,६८,०००
एल-३	ग्राम विकास कार्यक्रम।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। ३०५४, सड़क तथा पुल।	१,१०,७५,२९,९८,०००	१,१०,७५,२९,९८,०००

अनुसूची—जारी

१०

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
एल-४	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। . .	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। . .	८२,१०,००,०००		८२,१०,००,०००
एल-५	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	५,३८,५९,५६,०००	७,६०,०५,४४,०००	१२,९८,६५,००,०००
		कुल—ग्रामविकास तथा जलसंधारण विभाग। . .	१,८६,२३,३३,२२,०००	२५,६३,९५,३२,०००	२,११,८७,२८,५४,०००
खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग					
एम-१	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। . .	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। . .	१०,००,०००		१०,००,०००
एम-२	खाद्य, भंडारकरण तथा गोदाम। . .	२४०८, खाद्य, भंडारकरण तथा गोदाम। . .	३२,१०,६६,८७,०००	२५,५२,५०,०००	३२,३६,१९,३७,०००
एम-३	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	१,३२,७३,०५,०००		१,३२,७३,०५,०००
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग। . .	३३,४३,४९,९२,०००	२५,५२,५०,०००	३३,६९,०२,४२,०००
सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग					
एन-१	ब्याज अदायगियाँ। . .	२०४९, ब्याज अदायगियाँ। . .		८,५०,००,०००	८,५०,००,०००
एन-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२०५३, जिला प्रशासन। २२१६, आवास। २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	१४,४०,८४,८३,०००	१,०००	१४,४०,८४,८४,०००
एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जलआपत्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास। २२१७, नगर विकास।	१,४७,७९,३७,४३,०००	५,००,०००	१,४७,७९,४२,४३,०००

		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
		२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल विकास।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२४०१, कृषि कर्म।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०५, मत्स्योद्योग।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
		२५०५, ग्राम नियोजन।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नवीन तथा नविकरणीय उर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
		२८५२, उद्योग।			
एन-६	जिला योजनाएँ।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक का कल्याण।	..	२६,४५,३१,७८,०००	 २६,४५,३१,७८,०००
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	..	१,८८,६५,५४,०४,०००	८,५५,०१,००० १,८८,७४,०९,०५,०००
योजना विभाग					
ओ-१	जिला प्रशासन।	.. २०५३, जिला प्रशासन।	..	९,६६,५७,२६,०००	 ९,६६,५७,२६,०००
ओ-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	.. २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	..	३,००,०३,६०,०००	 ३,००,०३,६०,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
ओ-३	ग्राम नियोजन।	.. २५०५, ग्राम नियोजन।	..	३६,३४,०३,०३,०००	७०,००,००,००० ३७,०४,०३,०३,०००
ओ-४	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम।	.. २५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम।	..	१,००,१२,०३,०००	 १,००,१२,०३,०००
ओ-६	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान।	.. ३४२५, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान।	..	७८,०९,९८,०००	 ७८,०९,९८,०००
ओ-७	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	.. ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	..	१,४१,३२,३४,०००	५,०७,२४,००० १,४६,३९,५८,०००
ओ-८	पर्यटन।	.. ३४५२, पर्यटन।	..	१,४४,७९,०००	 १,४४,७९,०००
ओ-९	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी।	.. ३४५४, जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी।	..	१०,९५,७५,९१,०००	 १०,९५,७५,९१,०००
		३६०४, स्थानिय निकायों तथा पंचायत राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)
			रुपये
ओ-१४	जिला योजना - मुंबई शहर।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	२,६४,७०,००,०००
		२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।	...
		२२०५, कला तथा संस्कृति।	...
		२२१६, आवास।	...
		२२१७, नगरविकास।	...
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	...
		२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल विकास।	...
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	...
		२४०५, मत्स्य उद्योग।	...
		२८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा।	...
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।	...
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।	...
		३४५२, पर्यटन।	...

ओ-१६ जिला योजना - मुंबई उपनगर।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	. .	७,४९,४७,२३,०००	. . .	७,४९,४७,२३,०००
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
	२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।				
	२२०५, कला तथा संस्कृति।				
	२२१६, आवास।				
	२२१७, नगर विकास।				
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।				
	२२३६, पोषण।				
	२४०५, मत्स्य उद्योग।				
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
	२८०१, विद्युत।				
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				
	३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन।				
	३४३५, परिस्थितिकी तथा पर्यावरण।				
	३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।				
	३४५२, पर्यटन।				

अनुसूची—जारी

१४

(१)	(२)	(३)	(४)
ओ-१८	जिला योजना - ठाणे	२२०२, सामान्य शिक्षा । २२०३, तकनीकी शिक्षा । २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ । २२०५, कला तथा संस्कृति । २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता । २२१७, नगर विकास । २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण । २२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल विकास । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन । २४०५, मत्स्य उद्योग । २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४२५, सहकारिता । २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम । २७०२, लघु सिंचाई । २८०१, विद्युत । २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा । २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग । ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह । ३०५४, सड़क तथा पुल । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	रुपये ४,१२,०१,९२,००० रुपये ४,१२,०१,९२,०००

ओ-२०	जिला योजना - रायगढ़।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	..	२,३७,८९,५६,०००	...	२,३७,८९,५६,०००
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
		२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।				
		२२०५, कला तथा संस्कृति।				
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
		२२१७, नगर विकास।				
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
		२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल विकास।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२३६, पोषण।				
		२४०३, पशुपालन।				
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।				
		२४०५, मत्स्य उद्योग।				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
		२४२५, सहकारिता।				
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
		२७०२, लघु सिंचाई।				
		२८०१, विद्युत।				
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				
		३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।				
		३०५४, सड़क तथा पुल।				
		३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन।				
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।				
		३४५२, पर्यटन।				
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज				
		संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।				

अनुसूची—जारी

१६

(१)	(२)	(३)	(४)
ओ-२२	जिला योजना - रत्नागिरी।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	रुपये १,९६,५२,२५,००० रुपये १,९६,५२,२५,०००

२२०२, सामान्य शिक्षा।
 २२०३, तकनीकी शिक्षा।
 २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।
 २२०५, कला तथा संस्कृति।
 २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।
 २२१७, नगर विकास।
 २२२०, सूचना तथा प्रचार।
 २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य
 पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।
 २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।
 २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।
 २२३६, पोषण।
 २४०३, पशुपालन।
 २४०४, दुग्ध उद्योग विकास।
 २४०५, मत्स्य उद्योग।
 २४०६, वन तथा वन्य जीवन।
 २४२५, सहकारिता।
 २५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम।
 २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।
 २७०२, लघु सिंचाई।
 २८०१, विद्युत।
 २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय उर्जा।
 २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।
 ३०५१, पत्तन तथा दिपगृह।
 ३०५४, सड़क तथा पुल।
 ३०५६, आंतर्राज्यीय जलपरिवहन।
 ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।
 ३४५२, पर्यटन।
 ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज
 संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।

.. १,४४,६०,४५,०००

... १,४४,६०,४५,०००

अनुसूची—जारी

१८

(१)	(२)	(३)	(४)
			रुपये
ओ-२६ जिला योजना - पुणे।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	..	७,३३,६३,८४,०००
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।		...
	२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।		७,३३,६३,८४,०००
	२२०५, कला तथा संस्कृति।		
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
	२२१७, नगर विकास।		
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।		
	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास।		
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
	२२३६, पोषण।		
	२४०३, पशुपालन।		
	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।		
	२४०५, मत्स्य उद्योग।		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
	२४२५, सहकारिता।		
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
	२७०२, लघु सिंचाई।		
	२८०१, विद्युत।		
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
	३०५४, सड़क तथा पुल।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
	३४५२, पर्यटन।		
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		

ओ-२८ जिला योजना - सातारा।

२२०२, सामान्य शिक्षा।	..	३,२७,७१,७०,०००	...	३,२७,७१,७०,०००
२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
२२०५, कला तथा संस्कृति।				
२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
२२१७, नगर विकास।				
२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल विकास।				
२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
२२३६, पोषण।				
२४०३, पशुपालन।				
२४०५, मत्स्य उद्योग।				
२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
२४२५, सहकारिता।				
२५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम।				
२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
२७०२, लघु सिंचाई।				
२८०१, विद्युत।				
२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।				
३०५४, सड़क तथा पुल।				
३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।				
३४५२, पर्यटन।				
३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।				

अनुसूची—जारी

२०

(१)	(२)	(३)	(४)
		रुपये	रुपये
ओ-३० जिला योजना—सांगली।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	२,७८,४४,२६,०००	२,७८,४४,२६,०००
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति।		
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
	२२१७, नगर विकास।		
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
	२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल विकास।		
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
	२२३६, पोषण।		
	२४०३, पशुपालन।		
	२४०५, मत्स्य उद्योग।		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
	२४२५, सहकारिता।		
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।		
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
	२७०२, लघु सिंचाई।		
	२८०१, विद्युत।		
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
	३०५४, सड़क तथा पुल।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज		
	संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		

ओ-३२	जिला योजना—सोलापुर।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	४,२६,८९,३४,०००	४,२६,८९,३४,०००
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
		२२०५, कला तथा संस्कृति।		
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
		२२१७, नगर विकास।		
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।		
		२२३०, श्रम तथा नियोजन।		
		२२३६, पोषण।		
		२४०३, पशुपालन।		
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।		
		२४०५, मत्स्य उद्योग।		
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
		२४२५, सहकारिता।		
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
		२७०२, लघु सिंचाई।		
		२८०१, विद्युत।		
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
		३०५४, सड़क तथा पुल।		
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
		३४५२, पर्यटन।		
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		

अनुसूची—जारी

२२

(१)	(२)	(३)	(४)
		रुपये	रुपये
ओ-३४ जिला योजना - कोल्हापुर।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	३,१६,२२,२०,०००	३,१६,२२,२०,०००
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
	२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति।		
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
	२२१७, नगर विकास।		
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।		
	२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल विकास।		
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
	२२३६, पोषण।		
	२४०३, पशुपालन।		
	२४०५, मत्स्य उद्योग।		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
	२४२५, सहकारिता।		
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।		
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
	२७०२, लघु सिंचाई।		
	२८०१, विद्युत।		
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
	३०५४, सड़क तथा पुल।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
	३४५२, पर्यटन।		
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		

ओ-३६ जिला योजना - नासिक।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	.. ४,६६,९७,८१,०००	...	४,६६,९७,८१,०००
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
	२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।			
	२२०५, कला तथा संस्कृति।			
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
	२२१७, नगर विकास।			
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
	२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
	२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल विकास।			
	२२३६, पोषण।			
	२४०३, पशुपालन।			
	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।			
	२४०५, मत्स्य उद्योग।			
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
	२७०२, लघु सिंचाई।			
	२८०१, विद्युत।			
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
	३०५४, सड़क तथा पुल।			
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।			
	३४५२, पर्यटन।			
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			

अनुसूची—जारी

२४

(१)	(२)	(३)	(४)
		रुपये	रुपये
ओ-३८ जिला योजना -धुलिया।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	१,७६,१८,११,०००	१,७६,१८,११,०००
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
	२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति।		
	२२१७, नगर विकास।		
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।		
	२२३०, श्रम तथा नियोजन।		
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
	२२३६, पोषण।		
	२४०३, पशुपालन।		
	२४०५, मत्स्य उद्योग।		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
	२४२५, सहकारिता।		
	२५०१, ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम।		
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
	२७०२, लघु सिंचाई।		
	२८०१, विद्युत।		
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
	३०५४, सड़क तथा पुल।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
	३४५२, पर्यटन।		
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		

२२०२, सामान्य शिक्षा।	.. ३,६०,६३,३३,०००	...	३,६०,६३,३३,०००
२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।			
२२०५, कला तथा संस्कृति।			
२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
२२१७, नगर विकास।			
२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल विकास।			
२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
२२३६, पोषण।			
२४०३, पशुपालन।			
२४०५, मत्स्य उद्योग।			
२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
२४२५, सहकारिता।			
२५०१, ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम।			
२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
२७०२, लघु सिंचाई।			
२८०१, विद्युत।			
२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
३०५४, सड़क तथा पुल।			
३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।			
३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			

अनुसूची—जारी

२६

(१)	(२)	(३)	(४)
		रुपये	रुपये
ओ-४२	जिला योजना -अहमदनगर।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	४,३९,१७,००,०००
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।	...
		२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।	
		२२०५, कला तथा संस्कृति।	
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	
		२२१७, नगर विकास।	
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।	
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य	
		पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	
		२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल विकास।	
		२२३६, पोषण।	
		२४०३, पशुपालन।	
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।	
		२४०५, मत्स्य उद्योग।	
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	
		२४२५, सहकारिता।	
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।	
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।	
		२७०२, लघु सिंचाई।	
		२८०१, विद्युत।	
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।	
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।	
		३०५४, सड़क तथा पुल।	
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।	
		३४५२, पर्यटन।	
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज	
		संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	

ओ-४४ जिला योजना -नंदुरबार।

२२०२, सामान्य शिक्षा।

..

१,१६,३९,००,०००

...

१,१६,३९,००,०००

२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।

२२०५, कला तथा संस्कृति।

२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।

२२१७, नगर विकास।

२२२०, सूचना तथा प्रचार।

२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल विकास।

२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।

२२३६, पोषण।

२४०३, पशुपालन।

२४०५, मत्स्य उद्योग।

२४२५, सहकारिता।

२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।

२७०२, लघु सिंचाई।

२८०१, विद्युत।

२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।

२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।

३०५४, सड़क तथा पुल।

३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।

३४५२, पर्यटन।

३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज

संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।

अनुसूची—जारी

२८

(१)	(२)	(३)	(४)
		रुपये	रुपये
ओ-४६ जिला योजना -औरंगाबाद।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	३,७०,६७,६३,०००	३,७०,६७,६३,०००
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
	२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति।		
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
	२२१७, नगर विकास।		
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।		
	२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल विकास।		
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
	२२३६, पोषण।		
	२४०३, पशुपालन।		
	२४०५, मत्स्योद्योग।		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
	२४२५, सहकारिता।		
	२५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम।		
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
	२७०२, लघु सिंचाई।		
	२८०१, विद्युत।		
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
	३०५४, सड़क तथा पुल।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
	३४५२, पर्यटन।		
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		

ओ-४८ जिला योजना -जालना।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	..	२,१७,९९,१८,०००	...	२,१७,९९,१८,०००
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
	२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।				
	२२०५, कला तथा संस्कृति।				
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
	२२१७, नगर विकास।				
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
	२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास।				
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण।				
	२२३६, पोषण।				
	२४०३, पशुपालन।				
	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।				
	२४०५, मत्स्य उद्योग।				
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
	२४२५, सहकारिता।				
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
	२७०२, लघु सिंचाई।				
	२८०१, विद्युत।				
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।				
	३०५४, सड़क तथा पुल।				
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।				
	३४५२, पर्यटन।				
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।				

अनुसूची—जारी

३०

(१)	(२)	(३)	(४)
		रुपये	रुपये
ओ-५० जिला योजना -परभणी।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	२,२७,२०,६५,०००	२,२७,२०,६५,०००
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
	२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति।		
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
	२२१७, नगर विकास।		
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
	२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास।		
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
	२४०३, पशुपालन।		
	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।		
	२४०५, मत्स्य उद्योग।		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
	२४२५, सहकारिता।		
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।		
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
	२७०२, लघु सिंचाई।		
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
	३०५४, सड़क तथा पुल।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
	३४५२, पर्यटन।		
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज		
	संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		

ओ-५२ जिला योजना -नांदेड।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	..	३,०९,०२,६७,०००	...	३,०९,०२,६७,०००
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
	२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।				
	२२०५, कला तथा संस्कृति।				
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
	२२१७, नगरविकास।				
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
	२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास।				
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
	२२३६, पोषण।				
	२४०३, पशुपालन।				
	२४०५, मत्स्य उद्योग।				
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
	२४२५, सहकारिता।				
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।				
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
	२७०२, लघु सिंचाई।				
	२८०१, विद्युत।				
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।				
	३०५४, सड़क तथा पुल।				
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।				
	३४५२, पर्यटन।				
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।				

अनुसूची—जारी

३२

(१)	(२)	(३)	(४)
		रुपये	रुपये
ओ-५४ जिला योजना -बीड।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	२,९०,८४,२६,०००	२,९०,८४,२६,०००
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
	२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति।		
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
	२२११, परिवार कल्याण।		
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
	२२१७, नगरविकास।		
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
	२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास।		
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
	२२३६, पोषण।		
	२४०३, पशुपालन।		
	२४०५, मत्स्य उद्योग।		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
	२४२५, सहकारिता।		
	२७०२, लघु सिंचाई।		
	२८०१, विद्युत।		
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
	३०५४, सड़क तथा पुल।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
	३४५२, पर्यटन।		
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज		
	संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		

भाग सात-५-५ ओ-५६ जिला योजना -लातूर।

२२०२, सामान्य शिक्षा।	..	२,४९,७९,५१,०००	...	२,४९,७९,५१,०००
२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।				
२२०५, कला तथा संस्कृति।				
२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
२२११, परिवार कल्याण।				
२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
२२१७, नगरविकास।				
२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास।				
२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
२२३६, पोषण।				
२४०३, पशुपालन।				
२४०५, मत्स्य उद्योग।				
२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
२४२५, सहकारिता।				
२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
२७०२, लघु सिंचाई।				
२८०१, विद्युत।				
२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।				
३०५४, सड़क तथा पुल।				
३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।				
३४५२, पर्यटन।				
३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।				

अनुसूची—जारी

३४

(१)	(२)	(३)	(४)
		रुपये	रुपये
ओ-५८ जिला योजना -उस्मानाबाद।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	२,५४,९८,९९,०००	२,५४,९८,९९,०००
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति।		
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
	२२१७, नगर विकास।		
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
	२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास।		
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
	२२३६, पोषण।		
	२४०३, पशुपालन।		
	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।		
	२४०५, मत्स्य उद्योग।		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
	२४२५, सहकारिता।		
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
	२७०२, लघु सिंचाई।		
	२८०१, विद्युत।		
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
	३०५४, सड़क तथा पुल।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
	३४५२, पर्यटन।		
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज		
	संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		

ओ-६० जिला योजना -हिंगोली।

२२०२, सामान्य शिक्षा।
 २२०३, तकनीकी शिक्षा।
 २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।
 २२०५, कला तथा संस्कृति।
 २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।
 २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।
 २२१७, नगर विकास।
 २२२०, सूचना तथा प्रचार।
 २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य
 पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।
 २२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास।
 २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।
 २२३६, पोषण।
 २४०३, पशुपालन।
 २४०४, दुग्धउद्योग विकास।
 २४०५, मत्स्य उद्योग।
 २४०६, वन तथा वन्य जीवन।
 २४२५, सहकारिता।
 २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।
 २७०२, लघु सिंचाई।
 २८०१, विद्युत।
 २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।
 २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।
 ३०५४, सड़क तथा पुल।
 ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।
 ३४५२, पर्यटन।
 ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज
 संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।

१,४६,३६,६९,०००

१,४६,३६,६९,०००

अनुसूची—जारी

३६

(१)	(२)	(३)	(४)
		रुपये	रुपये
ओ-६२ जिला योजना -नागपुर।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	५,२०,३१,००,०००	५,२०,३१,००,०००
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति।		
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
	२२१७, नगर विकास।		
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।		
	२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास।		
	२२३६, पोषण।		
	२४०३, पशुपालन।		
	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।		
	२४०५, मत्स्य उद्योग।		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
	२४२५, सहकारिता।		
	२५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम।		
	२७०२, लघु सिंचाई।		
	२८०१, विद्युत।		
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
	३०५४, सड़क तथा पुल।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
	३४५२, पर्यटन।		
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		

ओ-६४ जिला योजना -वर्धा।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	१,७८,३९,२१,०००	१,७८,३९,२१,०००
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति।		
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
	२२१७, नगर विकास।		
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
	२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास।		
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
	२२३६, पोषण।		
	२४०३, पशुपालन।		
	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।		
	२४०५, मत्स्य उद्योग।		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
	२४२५, सहकारिता।		
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।		
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
	२७०२, लघु सिंचाई।		
	२८०१, विद्युत।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
	३०५४, सड़क तथा पुल।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
	३४५२, पर्यटन।		
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज		
	संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		

अनुसूची—जारी

३८

(१)	(२)	(३)	(४)
		रुपये	रुपये
ओ-६६ जिला योजना -भंडारा।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	१,५२,७१,९६,०००	१,५२,७१,९६,०००
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति।		
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
	२२१७, नगर विकास।		
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।		
	२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास।		
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
	२२३६, पोषण।		
	२४०३, पशुपालन।		
	२४०५, मत्स्य उद्योग।		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
	२४२५, सहकारिता।		
	२५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम।		
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
	२७०२, लघु सिंचाई।		
	२८०१, विद्युत।		
	२८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
	३०५४, सड़क तथा पूल।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
	३४५२, पर्यटन।		
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		

ओ-६८ जिला योजना -चंद्रपुर।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	..	२,५८,६९,९३,०००	...	२,५८,६९,९३,०००
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
	२२०५, कला तथा संस्कृति।				
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
	२२११, परिवार कल्याण।				
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
	२२१६, आवास।				
	२२१७, नगरविकास।				
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
	२२३०, श्रम कौशल विकास तथा नियोजन।				
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
	२२३६, पोषण।				
	२४०३, पशुपालन।				
	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।				
	२४०५, मत्स्य उद्योग।				
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
	२४२५, सहकारिता।				
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।				
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
	२७०२, लघु सिंचाई।				
	२८०१, विद्युत।				
	२८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा।				
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।				
	३०५४, सड़क तथा पुल।				
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।				
	३४५२, पर्यटन।				
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।				

अनुसूची—जारी

४०

(१)	(२)	(३)	(४)
			रुपये
ओ-७०	जिला योजना -गढ़चिरोली।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	२,३१,३५,१८,०००
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।	...
		२२०५, कला तथा संस्कृति।	...
		२२१७, नगरविकास।	...
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।	...
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य	...
		पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	...
		२२३०, श्रम कौशल विकास तथा नियोजन।	...
		२२३६, पोषण।	...
		२४०३, पशुपालन।	...
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	...
		२४२५, सहकारिता।	...
		२५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम।	...
		२७०२, लघु सिंचाई।	...
		२८०१, विद्युत।	...
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।	...
		३०५४, सड़क तथा पुल।	...
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।	...
		३४५२, पर्यटन।	...

२२०२, सामान्य शिक्षा।

..

१,४६,६८,०८,०००

...

१,४६,६८,०८,०००

२२०३, तकनीकी शिक्षा।

२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।

२२०५, कला तथा संस्कृति।

२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।

२२१७, नगरविकास।

२२२०, सूचना तथा प्रचार।

२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य

पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।

२२३०, श्रम कौशल विकास नियोजन।

२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।

२२३६, पोषण।

२४०३, पशुपालन।

२४०५, मत्स्य उद्योग।

२४०६, वन तथा वन्य जीवन।

२४२५, सहकारिता।

२५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम।

२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।

२७०२, लघु सिंचाई।

२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।

२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।

३०५४, सड़क तथा पुल।

३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।

३४५२, पर्यटन।

३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज

संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।

अनुसूची—जारी

४२

(१)	(२)	(३)	(४)
		रुपये	रुपये
ओ-७४ जिला योजना -अमरावती।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	२,५७,७४,०३,०००	२,५७,७४,०३,०००
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति।		
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
	२२१७, नगरविकास।		
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।		
	२२३०, श्रम कौशल विकास तथा नियोजन।		
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
	२२३६, पोषण।		
	२४०३, पशुपालन।		
	२४०४, दुग्धउद्योग विकास।		
	२४०५, मत्स्य उद्योग।		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
	२४२५, सहकारिता।		
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।		
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
	२७०२, लघु सिंचाई।		
	२८०१, विद्युत।		
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
	३०५४, सड़क तथा पुल।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
	३४५२, पर्यटन।		
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		

ओ-७६ जिला योजना -अकोला।

२२०२, सामान्य शिक्षा।

..

१,५७,०४,९९,०००

...

१,५७,०४,९९,०००

२२०३, तकनीकी शिक्षा।

२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।

२२०५, कला तथा संस्कृति।

२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।

२२१७, नगरविकास।

२२२०, सूचना तथा प्रचार।

२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,

अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।

२२३०, श्रम तथा नियोजन।

२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।

२२३६, पोषण।

२४०३, पशुपालन।

२४०५, मत्स्य उद्योग।

२४०६, वन तथा वन्य जीवन।

२४२५, सहकारिता।

२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।

२७०२, लघु सिंचाई।

२८०१, विद्युत।

२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।

२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।

३०५४, सड़क तथा पुल।

३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।

३४५२, पर्यटन।

३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज

संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।

अनुसूची—जारी

४४

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २३, २०२२/चैत्र २, शके १९४४

(१)	(२)	(३)	(४)
		रुपये	रुपये
ओ-७८ जिला योजना -यवतमाल।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	२,४८,५२,६७,०००	२,४८,५२,६७,०००
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति।		
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
	२२१७, नगरविकास।		
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।		
	२२३०, श्रम तथा नियोजन।		
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
	२२३६, पोषण।		
	२४०३, पशुपालन।		
	२४०५, मत्स्य उद्योग।		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
	२४२५, सहकारिता।		
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
	२७०२, लघु सिंचाई।		
	२८०१, विद्युत।		
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
	३०५४, सड़क तथा पुल।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
	३४५२, पर्यटन।		
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		

ओ-८० जिला योजना -बुलढाणा।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	२,३८,४५,००,०००	२,३८,४५,००,०००
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति।		
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
	२२१७, नगरविकास।		
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।		
	२२३०, श्रम कौशल विकास तथा नियोजन।		
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
	२२३६, पोषण।		
	२४०३, पशुपालन।		
	२४०५, मत्स्य उद्योग।		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
	२४२५, सहकारिता।		
	२५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम।		
	२७०२, लघु सिंचाई।		
	२८०१, विद्युत।		
	२८१०, नविन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
	३०५४, सड़क तथा पुल।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
	३४५२, पर्यटन।		
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)
			रुपये
ओ-८२	जिला योजना -वाशिम।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	१,५६,४८,८०,०००
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।	१,५६,४८,८०,०००
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।	
		२२०५, कला तथा संस्कृति।	
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	
		२२१७, नगरविकास।	
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।	
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य	
		पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	
		२२३०, श्रम तथा नियोजन।	
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	
		२४०३, पशुपालन।	
		२४०५, मत्स्य उद्योग।	
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	
		२४२५, सहकारिता।	

२५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम।

२७०२, लघु सिंचाई।

२८०१, विद्युत।

२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।

२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।

३०५४, सड़क तथा पुल।

३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।

३४५२, पर्यटन।

३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज

संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	
			रुपये	रुपये
ओ-८४ जिला योजना -पालघर।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	..	१,६९,१६,०६,०००	१,६९,१६,०६,०००
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
	२२०५, कला तथा संस्कृति।			
	२२१७, नगरविकास।			
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
	२२३०, श्रम तथा नियोजन।			
	२२३६, पोषण।			
	२४०३, पशुपालन।			
	२४०५, मत्स्य उद्योग।			
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
	२७०२, लघु सिंचाई।			
	२८०१, विद्युत।			
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
	३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।			
	३०५४, सड़क तथा पुल।			
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।			
	३४५२, पर्यटन।			
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज			
	संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			
	कुल—जिल्हा योजना विभाग।	..	१,६७,४७,३३,४४,०००	७५,०७,२५,००० १,६८,२२,४०,६९,०००

संसदीय कार्य विभाग

पी-१	सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।	..	२०५२,	सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।	..	३,८७,८७,०००		३,८७,८७,०००
पी-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	६०,०००		६०,०००
कुल—संसदीय कार्य विभाग।					..	३,८८,४७,०००		३,८८,४७,०००

आवास विभाग

क्यू-१	ब्याज अदायगियाँ।	..	२०४९,	ब्याज अदायगियाँ।	..		४०,८९,९८,०००	४०,८९,९८,०००
क्यू-२	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	..	२०७०,	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	..	३,१३,५८,०००		३,१३,५८,०००
क्यू-३	आवास।	..	२२१६,	आवास।	..	९२,८३,१०,४९,०००		९२,८३,१०,४९,०००
			२२१७,	नगरविकास।				
			२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
			२४०६,	वन तथा नव्य जीवन।				
क्यू-४	सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ।	..	३४५१,	सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ।	..	११,०२,५६,०००		११,०२,५६,०००
कुल—आवास विभाग।					..	९२,९७,२६,६३,०००	४०,८९,९८,०००	९३,३८,१६,६१,०००

लोकस्वास्थ्य विभाग

आर-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	..	२०४९,	ब्याज अदायगियाँ।	..	१,३९,३५,३३,६४,०००	७०,५५,०१,०००	१,४०,०५,८८,६५,०००
			२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
		..	२२११,	परिवार कल्याण।				
			२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
आर-२	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	..	२२५१,	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	..	१७,९१,९४,०००		१७,९१,९४,०००
कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग।					..	१,३९,५३,२५,५८,०००	७०,५५,०१,०००	१,४०,२३,८०,५९,०००

चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग

एस-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	..	२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	..	४८,१०,४३,५६,०००	१,५०,०००	४८,१०,४५,०६,०००
एस-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	४०,००,०००		४०,००,०००
एस-३	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	..	२२५१,	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	..	२८,६१,१९,०००	१,०००	२८,६१,२०,०००
			२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।				
कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग।					..	४८,३९,४४,७५,०००	१,५१,०००	४८,३९,४६,२६,०००

अनुसूची—जारी

५०

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
			रुपये	रुपये	रुपये
जनजाति विकास विभाग					
टी-१	ब्याज अदायगियाँ।	.. २०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	५३,५३,२९,०००	५३,५३,२९,०००
टी-२	सहकारिता।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	..	१,०४,७६,३३,०००	१,०४,७६,३३,०००
टी-३	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	.. २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	४६,८०,०००	४६,८०,०००
टी-४	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	.. २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	..	२१,२४,६४,०००	२१,२४,६४,०००
टी-५	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय।	२०५९, लोक निर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०१, कृषि कर्म। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग। २४०६, वन तथा वन्यजीवन। २४२५, सहकारिता। २४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम।	..	१,१४,८५,२४,३०,०००	१,१४,८५,२४,३०,०००

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २३, २०२२/चैत्र २, शके १९४४

		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
		२५०५, ग्राम नियोजन।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग और लघुउद्योग।			
		२८५२, उद्योग।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			
		३०५५, सड़क परिवहन।			
टी-९	जिला योजना।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	..	१७,३९,३१,३४,०००	१७,३९,३१,३४,०००
		कुल—जनजाति विकास विभाग।	..	१,३३,५१,०३,४१,०००	५३,५३,२९,००० १,३४,०४,५६,७०,०००
पर्यावरण और वातावरण परिवर्तन					
यू-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	७,७५,००,०००	७,७५,००,०००
यू-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	६०,०००	६०,०००
यू-३	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	..	७,१०,७८,०००	७,१०,७८,०००
यू-४	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण।	३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण।	..	४,७३,४५,०२,०००	४,७३,४५,०२,०००
		कुल—पर्यावरण और वातावरण परिवर्तन विभाग।	..	४,८०,५६,४०,०००	७,७५,००,००० ४,८८,३१,४०,०००
सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग					
वी-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	..	१३,९०,१०,००० १३,९०,१०,०००
वी-२	सहकारिता।	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	..	१६,६०,४५,२८,०००	१,६०,००० १६,६०,४६,८८,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५, सहकारिता।			
		२४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।			
		२८५२, उद्योग।			
		३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५६, सिविल अपूर्ति।			
		कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।	..	१६,६०,४५,२८,०००	१३,९१,७०,००० १६,७४,३६,९८,०००

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग					
डब्ल्यू-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	...	४,६३,४५,२२,०००	४,६३,४५,२२,०००
डब्ल्यू-२	सामान्य शिक्षा।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	९२,५८,८९,४०,०००	१,९६,०००	९२,५८,९१,३६,०००
डब्ल्यू-३	तकनीकी शिक्षा।	२२०३, तकनीकी शिक्षा।	२१,७८,१०,६८,०००	१,५०,०००	२१,७८,१२,१८,०००
डब्ल्यू-४	कला तथा संस्कृति।	२२०५, कला तथा संस्कृति।	३,९८,८५,३८,०००	...	३,९८,८५,३८,०००
डब्ल्यू-५	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	१७,९०,०००	...	१७,९०,०००
डब्ल्यू-६	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	२५,७९,८४,०००	...	२५,७९,८४,०००
डब्ल्यू-७	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए राजस्व परिव्यय।	२४०६, वन्य तथा वन्य जीवन।	१,००,०१,०००	...	१,००,०१,०००
कुल— उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग			१,१८,६२,८३,२१,०००	४,६३,४८,६८,०००	१,२३,२६,३१,८९,०००
महिला तथा बाल विकास विभाग					
एक्स-१	सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण।	४०,४२,०५,२५,०००	...	४०,४२,०५,२५,०००
एक्स-२	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	१४,४३,४८,०००	...	१४,४३,४८,०००
कुल— महिला तथा बाल विकास विभाग।			४०,५६,४८,७३,०००	...	४०,५६,४८,७३,०००
जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग					
वाय-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	...	२५,००,००,०००	२५,००,००,०००
वाय-२	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	१,०८,६१,८४,८१,०००	६०,००,०००	१,०८,६२,४४,८१,०००
वाय-३	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	१६,००,०००	...	१६,००,०००
वाय-४	लघु सिंचाई।	२७०२, लघु सिंचाई।	५२,५५,००,०००	...	५२,५५,००,०००
वाय-५	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	२३,८६,३६,०००	...	२३,८६,३६,०००
कुल— जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग।			१,०९,३८,४२,१७,०००	२५,६०,००,०००	१,०९,६४,०२,१७,०००

कुशलता विकास, नियोजन तथा उद्यम विभाग

जेड-क-१	ब्याज अदायगियाँ	२०४९,	ब्याज अदायगियाँ।	..	..	१,००,००,०००	१,००,००,०००
जेड-क-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०३,	तकनीकी शिक्षा।	..	२८,३९,२७,२४,०००	१०,७०,०००	२८,३९,३७,९४,०००
		२२३०,	श्रम, नियोजन कुशलता विकास।				
		२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२५१,	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।				
		२४०६,	वन तथा वन्य जीवन				
			कुल— कुशलता विकास, नियोजन तथा उद्यम विभाग।	..	२८,३९,२७,२४,०००	१,१०,७०,०००	२८,४०,३७,९४,०००

महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय

जेड ग-१	संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।	२०११,	संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।	..	३,२७,५६,४३,०००	२,१६,७८,०००	३,२९,७३,२१,०००
जेड ग-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	२५,०५,४०,०००	..	२५,०५,४०,०००
			कुल— महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय।	..	३,५२,६१,८३,०००	२,१६,७८,०००	३,५४,७८,६१,०००

पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग

जेड घ-१	सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२०७०,	अन्य प्रशासकीय सेवाएँ।	..	१३,२३,२४,०००	..	१३,२३,२४,०००
		२२२०,	सूचना तथा प्रचार।				
		२२५१,	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।				
जेड घ-२	कला तथा संस्कृति।	२२०५,	कला तथा संस्कृति।	..	३,२८,७२,०५,०००	..	३,२८,७२,०५,०००
जेड घ-३	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	३,६०,०००	..	३,६०,०००
जेड घ-४	पर्यटन।	३४५२,	पर्यटन।	..	१८,१४,००,०००	..	१८,१४,००,०००
			कुल— पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग।	..	२१,५५,९८,८९,०००	..	२१,५५,९८,८९,०००

अल्पसंख्यक विकास विभाग

जेड ड-१	अल्पसंख्यक विकास।	२०५२,	सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।	..	७,८४,२८,३६,०००	..	७,८४,२८,३६,०००
		२०५३,	जिला प्रशासन।				
		२०७५,	विविध सामान्य सेवाएँ।				
		२२०५,	कला तथा संस्कृति।				
		२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२४०६,	वन तथा वन्य जीव।				
			कुल— अल्पसंख्यक विकास विभाग।	..	७,८४,२८,३६,०००	..	७,८४,२८,३६,०००

अनुसूची—जारी

५४

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २३, २०२२/चैत्र २, शके १९४४

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
मराठी भाषा विभाग					
जेड च-१ सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।	२०५२,	सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।	..	१८,५७,०४,०००	... १८,५७,०४,०००
जेड च-२ कला तथा संस्कृति ।	२२०५,	कला तथा संस्कृति ।	..	२६,२४,२९,०००	... २६,२४,२९,०००
जेड च-३ सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	२,४०,०००	... २,४०,०००
कुल— मराठी भाषा विभाग।			..	४४,८३,७३,०००	... ४४,८३,७३,०००
अन्य पिछडे बहुजन कल्याण विभाग।					
जेड छ-१ ब्याज अदायगियाँ।	२०४९,	ब्याज अदायगियाँ।	..	...	३६,१९,२०,००० ३६,१९,२०,०००
जेड छ-२ सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२१६,	आवास	..	२८,६४,६२,०००	१,००० २८,६४,६३,०००
	२२५१,	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।			
जेड छ-३ विमुक्त जाति, खानाबदोश जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग और विशेष पिछडा वर्ग का कल्याण।	२४०६,	वन तथा वन्य जीव।			
	२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण।	..	३७,२१,४१,०४,०००	... ३७,२१,४१,०४,०००
	२२३५	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
कुल— अन्य पिछडे बहुजन कल्याण विभाग।			..	३७,५०,०५,६६,०००	३६,१९,२१,००० ३७,८६,२४,८७,०००
मृदा तथा जल संरक्षण विभाग					
जेड ज-१ ब्याज अदायगियाँ।	२०४९,	ब्याज अदायगियाँ।	..	...	६,००० ६,०००
जेड ज-२ सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	५०,००,०००	... ५०,००,०००
जेड ज-३ सिंचाई, बिजली और अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण।	..	६,०५,६२,९७,०००	... ६,०५,६२,९७,०००
	२४०६,	वन तथा वन्य जीव			
	२७०२,	लघु सिंचाई।			
जेड ज-४ सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	३४५१,	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	..	१५,४१,१८,०००	... १५,४१,१८,०००
कुल— मृदा तथा जल संरक्षण विभाग।			..	६,२१,५४,१५,०००	६,००० ६,२१,५४,२१,०००
कुल — क-राजस्व लेखे पर व्यय।			..	३८,६३,५७,०६,९०,०००	४,९८,५७,०७,८६,००० ४३,६२,१४,१४,७६,०००

ख-पूँजीगत लेखे पर व्यय

सामान्य प्रशासन विभाग

ए-९	लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय।	४०५९,	लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय।	. .	१,५९,१०,०२,०००	. . .	१,५९,१०,०२,०००
		४०७०,	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।				
ए-१०	सरकारी कर्मचारी आदि के लिए कर्ज	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	. .	१०,४२,४०,,०००	. . .	१०,४२,४०,,०००
कुल—सामान्य प्रशासन विभाग।				. .	१,६९,५२,४२,०००	. . .	१,६९,५२,४२,०००

गृह विभाग

बी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	४०५५,	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय।	. .	२५,७१,१०,२३,०००	. . .	२५,७१,१०,२३,०००
		४०७०,	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।				
		५००२,	भारतीय रेल (वाणिज्यिक लाईन) पर पूँजीगत परिव्यय।				
		५०५५,	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय।				
बी-११	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	. .	९४,०३,८०,०००	. . .	९४,०३,८०,०००
बी-१२	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए कर्ज।	६७११,	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए कर्ज।	. .	६,००,००,०००	. . .	६,००,००,०००
कुल—गृह विभाग।				. .	२६,७१,१४,०३,०००	. . .	२६,७१,१४,०३,०००

राजस्व तथा वन विभाग

सी-९	अन्य प्रशासनिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	४२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय।	. .	५,१८,०००	१,००,००,०००	१,०५,१८,०००
		४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।				
		६२४५,	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के लिए कर्ज।				
सी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	४४०६,	वन तथा वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय।	. .	११,७७,९३,९४,०००	. . .	११,७७,९३,९४,०००
		४४१५,	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय।				
		४७०१,	बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय।				
		५४७५,	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।				
		६४०१,	कृषि कर्म के लिए कर्ज।				

अनुसूची—जारी

५६

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
सी-११	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण। . .	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	. . .	१,०००	१,०००
सी-१२	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज। . .	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	. . .	१,५१,२४,६९,०००	१,५१,२४,६९,०००
		कुल— राजस्व तथा वन विभाग।	. .	१३,२९,२३,८१,०००	१,००,०१,०००
				१३,३०,२३,८२,०००	
कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग					
डी-८	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१४,८६,९५,०००	१४,८६,९५,०००
डी-९	मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१,७३,५०,८१,०००	१,७३,५०,८१,०००
		६४०५, मत्स्य उद्योग के लिए कर्ज।			
डी-१०	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	. .	१५,००,००,०००	१५,००,००,०००
डी-११	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	६२१६, आवास के लिए कर्ज।	. .	२१,४७,४८,०००	२१,४७,४८,०००
		७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।			
		कुल— कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	. .	२,०९,८५,२४,०००	१५,००,००,०००
				२,२४,८५,२४,०००	
विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग					
ई-४	शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत।	४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	३,०७,३०,००,०००	३,०७,३०,००,०००
ई-५	सरकारी कर्मचारियों, आदि को कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों, आदि को कर्ज।	. .	११,७५,९८,०००	११,७५,९८,०००
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।	. .	३,१९,०५,९८,०००	३,१९,०५,९८,०००
नगरविकास विभाग					
एफ-५	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१७, नगरविकास पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	११,२६,२०,०१,०००	११,२६,२०,०१,०००
		५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २३, २०२२/चैत्र २, शके १९४४

एफ-७	नगर विकास के लिए कर्ज ।	६२१७,	नगर विकास के लिए कर्ज ।	..	१५,४८,३०,०१,०००	...	१५,४८,३०,०१,०००
एफ-८	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	४,८०,१६,०००	...	४,८०,१६,०००
			कुल—नगर विकास विभाग ।	..	२६,७९,३०,१८,०००	...	२६,७९,३०,१८,०००

वित्त विभाग

जी-८	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	४०७०,	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	१,४७,६९,८५,०००	...	१,४७,६९,८५,०००
जी-९	लोक ऋण तथा अन्तर राज्य समझौता ।	६००३,	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण ।	..	...	५,१९,५६,०८,५९,०००	५,१९,५६,०८,५९,०००
		६००४,	केंद्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम ।	..	...	...	...
		७८१०,	अंतर राज्य समझौता ।	..	...	...	...
जी-१०	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	५५,९६,१५,०००	...	५५,९६,१५,०००
			कुल—वित्त विभाग ।	..	२,०३,६६,००,०००	५,१९,५६,०८,५९,०००	५,२१,५९,७४,५९,०००

लोक निर्माण कार्य विभाग

एच-७	सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	४२१६,	आवास पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	१,४१,५१,८०,४८,०००	...	१,४१,५१,८०,४८,०००
		४७११,	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।				
एच-८	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय ।	५०५४,	सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	३६,८६,३८,०६,०००	५५,००,००,०००	३७,४१,३८,०६,०००
		४०५९,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय ।				
		४२०२,	शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय ।				
		४२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ।				
		४२१७,	नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय ।				
		४२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय ।				
		४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।				

अनुसूची—जारी

५८

(१)	(२)	(३)	(४)	रुपये	रुपये	रुपये
एच-९	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए पूंजीगत परिव्यय।	४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	..	७२,००,००,०००	...	७२,००,००,०००
एच-११	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज। कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।	..	४४,८१,७०,००० १,७९,५५,००,२४,०००	...	४४,८१,७०,००० १,८०,१०,००,२४,०००
आय-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१,५०,३७,०३,६७,०००	२०,००,०००	१,५०,३७,२३,६७,०००
आय-६	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	..	...	१०,२१,१९,७३,०००	१०,२१,१९,७३,०००
आय-७	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज। कुल—जलस्रोत विभाग।	..	६५,२९,२५,००० १,५१,०२,३२,९२,०००	...	६५,२९,२५,००० १,६१,२३,७२,६५,०००

विधि तथा न्याय विभाग

जे-४	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय । ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	१३,००,००,०००	...	१३,००,००,०००
जे-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज । ७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	२६,५०,०१,०००	...	२६,५०,०१,०००
कुल—विधि तथा न्याय विभाग ।			३९,५०,०१,०००	...	३९,५०,०१,०००

उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग

के-९	आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५८, लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय।	..	६२,१०,५०,०००	...	६२,१०,५०,०००
		४८५१, ग्राम तथा लघुउद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय।				
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।				
के-१०	उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय।	४८७५, अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१,४८,००,००,०००	...	१,४८,००,००,०००
के-११	ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय।	४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	..	२०,४७,००,०३,०००	...	२०,४७,००,०३,०००
		६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज।				
के-१३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।		११,८६,६०,०००	...	११,८६,६०,०००
कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।			..	२२,६८,९७,१३,०००	...	२२,६८,९७,१३,०००

ग्रामविकास विभाग

एल-७	ग्रामविकास पर पूंजीगत परिव्यय ।	४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	५४,०४,९८,१५,०००	...	५४,०४,९८,१५,०००
		५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय ।				
		६२१६, आवास के लिए कर्ज ।				
एल-८	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज । ७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	१,३१,६०,०००	...	१,३१,६०,०००
		कुल—ग्रामविकास विभाग ।	..	५४,०६,२९,७५,०००	...	५४,०६,२९,७५,०००

अनुसूची—जारी

६०

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
		खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्त संरक्षण विभाग		रुपये
एम-४	खाद्य, भंडारकरण तथा गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय ।	४४०८, खाद्य, भंडारकरण तथा गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय ।	.. १,३६,२३,७६,३३,०००	... १,३६,२३,७६,३३,०००
एम-५	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	.. ११,६७,३२,०००	... ११,६७,३२,०००
एम-६	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	.. ५,५८,०१,०००	... ५,५८,०१,०००
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्त संरक्षण विभाग ।	.. १,३६,४१,०१,६६,०००	... १,३६,४१,०१,६६,०००
		सामाजिक, न्याय तथा विशेष सहायता विभाग		
एन-४	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	४०५९, लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय । ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय । ६२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये कर्ज ।	.. ९,६६,००,०५,०००	... ९,६६,००,०५,०००
एन-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	६२१६, आवास के लिए कर्ज । ७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	.. ३,२५,७०,०००	... ३,२५,७०,०००
एन-७	जिला योजनाएँ ।	४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय ।	.. ८१,०३,१६,०००	... ८१,०३,१६,०००
एन-८	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज ।	६२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय ।	.. २,२८,९५,०००	... २,२८,९५,०००
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग ।	.. १०,५२,५७,८६,०००	... १०,५२,५७,८६,०००

योजना विभाग

ओ-१०	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ।	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	५६,४६,७३,१०,०००	...	५६,४६,७३,१०,०००
		४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ।				
		५४५२, पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय ।				
ओ-११	पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय ।	४५५१, पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	१,९०,००,००,०००	...	१,९०,००,००,०००
ओ-१२	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारी संस्थाओं में विनिधान ।	५४६५, सामान्य वित्तीय तथा व्यापारी संस्थाओं में विनिधान ।	..	५,००,००,०००	...	५,००,००,०००
ओ-१३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	२,८९,५१,०००	...	२,८९,५१,०००
ओ-१५	जिला योजना—मुंबई शहर ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	५०,३०,००,०००	...	५०,३०,००,०००
		४२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ।				
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।				
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ।				
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज ।				
ओ-१७	जिला योजना—मुंबई उपनगर ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	९९,५२,७७,०००	...	९९,५२,७७,०००
		४२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ।				
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।				
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय ।				
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय ।				
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ।				
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय ।				
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज ।				
ओ-१९	जिला योजना—ठाणे ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	२,०५,९८,०८,०००		२,०५,९८,०८,०००
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।				
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय ।				
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय ।				
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ।				
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय ।				
		४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ।				
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय ।				

(१)	(२)	(३)	(४)	रुपये
		५०५४, सड़क तथा फूल पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।		
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।		
ओ-२१	जिला योजना—रायगढ़।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	८२,१०,४४,०००
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	...	८२,१०,४४,०००
		४२१६, गृहनिर्माण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२१७, नगर विकास के लिये कर्ज।		
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।		
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।		
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	७४,४७,७५,०००
ओ-२३	जिला योजना—रत्नागिरी।	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।	...	७४,४७,७५,०००
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		५०५४, सड़क तथा फूल पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।		

ओ-२५ जिला योजना—सिंधुदुर्ग।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	३७,३९,५५,०००	...	३७,३९,५५,०००
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
	५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।				
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।				
ओ-२७ जिला योजना—पुणे।	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।				
	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१,४१,३६,१६,०००	...	१,४१,३६,१६,०००
	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
ओ-२९ जिला योजना—सातारा।	४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
	५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।				
	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।				
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।				
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग के लिए कर्ज।				
	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	८३,२८,३०,०००	...	८३,२८,३०,०००
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।				

अनुसूची—जारी

६४

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २३, २०२२/चैत्र २, शके १९४४

(१)	(२)	(३)	(४)	(४)
			रुपये	रुपये
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।		
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।		
		६८५१, ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।		
ओ-३१	जिला योजना—सांगली।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	८५,५५,७४,०००	८५,५५,७४,०००
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।		
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।		
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग के लिए कर्ज।		

भाग सात ५-१०	ओ-३३ जिला योजना—सोलापुर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१,००,१०,६६,०००	...	१,००,१०,६६,०००
		४२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०२, मृदा व जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
		५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।				
		६२१७, नगर विकास के लिये कर्ज।				
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।				
	ओ-३५ जिला योजना—कोल्हापुर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१,०८,७७,८०,०००	...	१,०८,७७,८०,०००
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
		५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।				
		६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।				
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।				
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग के लिए कर्ज।				

अनुसूची—जारी

६६

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
ओ-३७ जिला योजना—नासिक।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१,३३,०२,१९,०००	१,३३,०२,१९,०००
	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
	५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।			
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
ओ-३९ जिला योजना—धुलिया।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	५९,८१,८९,०००	५९,८१,८९,०००
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।	..	..	..
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।			
	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।			
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			

ओ-४१ जिला योजना—जलगांव।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	९१,३६,६७,०००	..	९१,३६,६७,०००
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।	..	..	..	..
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय।				
	५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।				
	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।				
ओ-४३ जिला योजना—अहमदनगर।	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।				
	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	, ,	१,१७,८३,००,०००	.. .	१,१७,८३,००,०००
	४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा , कला तथा संस्कृती पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।	..	...	...	...
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
	५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।				
ओ-४५ जिला योजना—नंदुरबार।	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।				
	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	२८,६१,००,०००	...	२८,६१,००,०००
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	...	...	...
	५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।				
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।				
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग के लिए कर्ज।				

अनुसूची—जारी

६८

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २३, २०२२/चैत्र २, शके १९४४

(१)	(२)	(३)	(४)
		रुपये	रुपये
ओ-४७ जिला योजना—औरंगाबाद।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	१,२९,३२,३७,०००	१,२९,३२,३७,०००
	४२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय।		
	५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।		
	६२१७, नगर विकास के लिये कर्ज।		
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।		
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग के लिए कर्ज।		
ओ-४९ जिला योजना—जालना।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	६४,००,८२,०००	६४,००,८२,०००
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीकृत परिव्यय।		
	५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।		
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।		
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।		
ओ-५१ जिला योजना—परभणी।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	२३,७९,३५,०००	२३,७९,३५,०००
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।		

ओ-५३ जिला योजना-नांदेड।	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।				
	५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।				
	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।				
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।				
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।				
	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	९०,९७,३३,०००	...	९०,९७,३३,०००
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीकृत परिव्यय।				
	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीकृत परिव्यय।				
	५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।				
ओ-५५ जिला योजना-बीड।	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।				
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।				
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।				
	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	७९,१५,७४,०००	...	७९,१५,७४,०००
	४२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।				

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।		
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।		
ओ-५७ जिला योजना—लातूर।		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	५२,२०,४९,०००	५२,२०,४९,०००
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।		
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।		
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।		
ओ-५९ जिला योजना—उस्मानाबाद।		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	४५,०१,०१,०००	४५,०१,०१,०००
		४२१६, आवास पर पूंजीकृत परिव्यय।		
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२१७, नगर विकास के लिये कर्ज।		
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।		

ओ-६१ जिला योजना—हिंगोली।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	५३,६३,३१,०००	. . .	५३,६३,३१,०००
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
ओ-६३ जिला योजना—नागपुर।	५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।	. . .	१,५७,६९,००,०००	. . .	१,५७,६९,००,०००
	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।				
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।				
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।				
	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
	५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।				
	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।				
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।				
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।				

अनुसूची—जारी

७२

(१)	(२)	(३)	(४)
		रुपये	रुपये
ओ-६५ जिला योजना—वर्धा।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	४६,६०,७९,०००	४६,६०,७९,०००
ओ-६७ जिला योजना—भंडारा।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	२२,२८,०४,०००	२२,२८,०४,०००

ओ-६९ जिला योजना-चंद्रपुर

४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	६९,३०,०७,,०००	. . .	६९,३०,०७,,०००
४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।				
४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।				
४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।				
४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।				
४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।				
४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।				
४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।				
४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय।				
५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।				
६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।				

ओ-७१ जिला योजना-गडचिरोली।

४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	६८,६४,८२,०००	. . .	६८,६४,८२,०००
४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।				
४४०५, मत्स्य उद्योगों पर कर्ज।				
४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।				
४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।				
४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय।				
५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।				
६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।				

अनुसूची—जारी

७४

(१)	(२)	(३)	(४)
			रुपये
ओ-७३ जिला योजना—गोंदिया।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	५३,३१,९२,०००	रुपये
	४२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	५३,३१,९२,०००	रुपये
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		रुपये
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।		
	५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।		
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।		
ओ-७५ जिला योजना—अमरावती।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	९२,२५,९७,०००	९२,२५,९७,०००
	४२०२, शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
	५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।		
	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।		
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।		
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।		

भाग सात ५-११	ओ-७७ जिला योजना-अकोला।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	५६,९५,०१,०००	...	५६,९५,०१,०००
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।				
		५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।				
		६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।				
	ओ-७९ जिला योजना-यवतमाल।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१,०७,४७,३३,०००	...	१,०७,४७,३३,०००
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०५, मत्स्यउद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
		५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।				
		६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।				
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।				
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।				

अनुसूची—जारी

७६

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
ओ-८१ जिला योजना—बुलढाणा।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	८७,५५,००,०००	. . .
	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०५, मत्स्यउद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।			
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			
ओ-८३ जिला योजना—वाशिम।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	४७,५१,२०,०००	. .
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०५, मत्स्यउद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।			
	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।			
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			

ओ-८५	जिला योजना—पालघर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	६२,८३,९३,०००	...	६२,८३,९३,०००
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिये कर्ज।			
		कुल—योजना विभाग।	८७,५४,६८,११,०००	...	८७,५४,६८,११,०००
संसदीय कार्य विभाग					
पी-३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिये कर्ज। ७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिये कर्ज।	...	२२,००,०००	...	२२,००,०००
	कुल—संसदीय कार्य विभाग।	...	२२,००,०००	...	२२,००,०००
आवास विभाग					
क्यू-६	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज। ७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	...	१,५२,,००,०००	...	१,५२,,००,०००
	कुल—आवास विभाग।	...	१,५२,,००,०००	...	१,५२,,००,०००
लोकस्वास्थ्य विभाग					
आर-३	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय।	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय।	४९,९४,०१,०००	१,०००	४९,९४,०२,०००
		६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।			
आर-४	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज। ७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	...	६४,४२,७०,०००	...	६४,४२,७०,०००
	कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग।	...	१,१४,३६,७१,०००	१,०००	१,१४,३६,७२,०००
चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग					
एस-४	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	१०,२२,४६,७९,०००	...	१०,२२,४६,७९,०००
एस-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	१०,००,११,०००	...	१०,००,११,०००
	कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग।	...	१०,३२,४६,९०,०००	...	१०,३२,४६,९०,०००

(१)	(२)	(३)	(४)	(४)	(४)
			रुपये	रुपये	रुपये
जनजाति विकास विभाग					
टी-६	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर पूँजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय। ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय। ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूँजीगत परिव्यय।	..	११,६४,००,१३,०००	... ११,६४,००,१३,०००
टी-८	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज। ७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	..	१३,८१,१०,०००	... १३,८१,१०,०००
टी-१०	जिला योजनाएँ।	४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय।	..	३,६७,१२,८४,०००	... ३,६७,१२,८४,०००
टी-११	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए ऋण।	६२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण।	..	३२,३१,०००	... ३२,३१,०००
कुल—जनजाति विकास विभाग।			..	१५,४५,२६,३८,०००	... १५,४५,२६,३८,०००
पर्यावरण और वातावरण परिवर्तन विभाग					
यु-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज। ७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	..	१,६१,६६,०००	... १,६१,६६,०००
कुल—पर्यावरण और वातावरण परिवर्तन विभाग।			..	१,६१,६६,०००	... १,६१,६६,०००

सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग

वी-३	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय।	..	३,९२,७९,९७,०००	...	३,९२,७९,९७,०००
		४४३५, अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय।				
		५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
वी-४	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	..	...	१०,६८,६९,०००	१०,६८,६९,०००
वी-५	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	६४२५, सहकारिता के लिए कर्ज।	..	६९,००,०६,०००	...	६९,००,०६,०००
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।				
		६८६०, उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज।				
		७४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज।				
वी-६	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज। ७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	..	१२,९३,२५,०००	...	१२,९३,२५,०००
	कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।		..	४,७४,७३,२८,०००	१०,६८,६९,०००	४,८५,४१,९७,०००

उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग

डब्ल्यू-८ अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	७,६०,००,०००	...	७,६०,००,०००
डब्ल्यू-९ सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	३०,४७,७०,०००	...	३०,४७,७०,०००
	कुल—उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग ।	..	३८,०७,७०,०००	...	३८,०७,७०,०००

महिला तथा बाल विकास विभाग

एक्स-३	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय।	४२३६,	पोषण पर पूंजीगत परिव्यय।	..	३७,००,००,०००	...	३७,००,००,०००
एक्स-४	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	..	७,५२,००,०००	...	७,५२,००,०००
	कुल—महिला तथा बाल विकास विभाग।	..		..	४४,५२,००,०००	...	४४,५२,००,०००

जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग

वाय-६	आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय।	..	३२,११,५५,०००	५,००,०००	३२,१६,५५,०००
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
		६२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के लिए कर्ज।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	
			रुपये	रुपये
वाय-७	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज । ७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	५,०८,१०,०००	५,०८,१०,०००
	कुल—जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग ।	..	३७,१९,६५,०००	५,००,०००
	कुशलता विकास, नियोजन तथा उद्यम विभाग			३७,२४,६५,०००
जेड क-३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज । ७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिये कर्ज ।	..	२६,१५,९७,०००	२६,१५,९७,०००
	कुल—कुशलता विकास तथा उद्यम विभाग ।	..	२६,१५,९७,०००	२६,१५,९७,०००
	महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय			
जेड ग-३	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	२,०१,०८,३५,०००	२,०१,०८,३५,०००
	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।			
	कुल—महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय ।	..	२,०१,०८,३५,०००	२,०१,०८,३५,०००
	पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य विभाग			
जेड घ-५	शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर ४२०२, शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	१३,००,००,०००	१३,००,००,०००
जेड घ-६	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज । ७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	१,०८,००,०००	१,०८,००,०००
	कुल—पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य विभाग ।	..	१४,०८,००,०००	१४,०८,००,०००
	अल्पसंख्यक विकास विभाग			
जेड ड-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	२५,५०,००,०००	२५,५०,००,०००
जेड ड-३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज । ७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	१,१३,१०,०००	१,१३,१०,०००
	कुल—अल्पसंख्यक विकास विभाग ।	..	२६,६३,१०,०००	२६,६३,१०,०००
	मराठी भाषा विभाग			
जेड च-४	लोकनिर्माण कार्य विभाग पर ४०५९, लोकनिर्माण कार्य विभाग पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	२९,८६,००,०००	२९,८६,००,०००
जेड च-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज । ७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	१,२२,६१,०००	१,२२,६१,०००
	कुल—मराठी भाषा विभाग ।	..	३१,०८,६१,०००	३१,०८,६१,०००

अन्य पिछड़े बहुजन कल्याण विभाग

जेड छ-४ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक के कल्याण पर पूंजीगत व्यय ।	४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक के कल्याण पर पूंजीगत व्यय ।	..	५,६५,०१,०००	...	५,६५,०१,०००
जेड छ-५ आवास के लिए कर्ज	६२१६, आवास के लिए कर्ज ।	..	१,३२,०१,०००	...	१,३२,०१,०००
	७६१०, सरकारी कर्मचारी आदि के लिए कर्ज ।				
	कुल—अन्य पिछड़े बहुजन कल्याण विभाग ।	..	६,९७,०२,०००	...	६,९७,०२,०००

मृदा और जल संरक्षण विभाग

जेड ज-५ सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय ।	४४०२, मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत व्यय ।	..	३३,९६,५७,०३,०००	...	३३,९६,५७,०३,०००
	४७०२, लघुसिंचाई पर पूंजीगत व्यय ।				
जेड ज-६ राज्य सरकार का आंतरिक कर्ज ।	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक कर्ज ।		...	१,०००	१,०००
जेड ज-७ सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	२,५४,००,०००	...	२,५४,००,०००
	कुल—मृदा और जल संरक्षण विभाग ।	..	३३,९९,११,०३,०००	१,०००	३३,९९,११,०४,०००
	कुल—ख-पूंजीगत लेखे पर व्यय ।	..	७,८७,९७,२५,७०,०००	५,३०,५९,२२,०४,०००	१३,१८,५६,४७,७४,०००
	कुल योग ।	..	४६,५१,५४,३२,६०,०००	१०,२९,१६,२९,९०,०००	५६,८०,७०,६२,५०,०००

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४(१) यह अपेक्षा करता है कि विधानसभा द्वारा अनुदान दिये जाने के बाद यथासंभव शीघ्र, राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से विनियोग करने के लिए उपबंध करने संबंधी विधेयक पुरःस्थापित किया जाये जो कि,—

(क) इस प्रकार विधानसभा द्वारा दिये गये अनुदानों के लिए ; और

(ख) राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय के लिए किंतु किसी भी मामले में विधानमंडल के समक्ष रखी गई पूर्ववर्ती विवरणी में दर्शायी गई रकम से अधिक नहीं होगा ; अपेक्षित सभी धन को पूरा करने के लिए होगा।

प्रस्तुत विधेयक तदनुसार, विधानसभा द्वारा दिये गये अनुदानों को पूरा करने तथा वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ के लिए राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित रकम को पूरा करने के लिए अपेक्षित सकल रकमों को विनिर्दिष्ट करता है।

रकमें नीचे दिखायी गई हैं :—

	रुपये
(क) राजस्व व्यय	. . ४३,६२,१४,१४,७६,०००
(ख) पूंजीगत व्यय	. . १३,१८,५६,४७,७४,०००
कुल	. . ५६,८०,७०,६२,५०,०००

मुंबई,
दिनांकित २३ मार्च २०२२।

अजित पवार,
उप-मुख्यमंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।